रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16062020-219953
CG-MH-E-16062020-219953

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2020/ज्येष्ठ 26, 1942
No. 200] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 जून, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-

क. खंड (धक) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"(धख) "नियुक्त प्रायोजक" (इंडक्टेड स्पॉन्सर) से ऐसी कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप / एलएलपी) या ऐसा कोई निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) अभिप्रेत है, जिसे विनियम 22 के उप-विनियम (7) के अनुसार प्रायोजक (स्पॉन्सर) के रूप में नियुक्त किया गया हो;"

ख. खंड (यय) में, शब्दों "और बोर्ड को किये गये आवेदन के समय ऐसी हैसियत से पदाभिहित हो" के लिए, शब्द तथा चिह्न "तथा जिसे बोर्ड को आवेदन किए जाने के समय ऐसी हैसियत से पदाभिहित किया गया हो, और जिसमें नियुक्त प्रायोजक शामिल होगा" प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

ग. खंड (ययक) में, उप-खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नए उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"च. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनी;

छ. म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) ।"

II. विनियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"किसी प्रायोजक का न रहना

7क. (1) जिस अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटें स्टॉक एक्सचेंजों में तीन वर्षों की अवधि तक सूचीबद्ध (लिस्टिड) रही हों, उसके किसी प्रायोजक (किन्हीं प्रायोजकों) के न रहने (डी-क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस) के संबंध में अनुमति अवसंरचना निवेश न्यास से आवेदन प्राप्त होने के बाद और निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने के अध्यधीन दी जाएगी:

(क) ऐसे प्रायोजक और उसके सहयुक्तों (सहयोगियों / एसोसिएट्स) की यूनिट धारिता (यूनिट होल्डिंग) मिलाकर अवसंरचना निवेश न्यास की बकाया यूनिटों के 10% से अधिक न हो;

(ख) अवसंरचना निवेश न्यास का निवेश प्रबंधक ऐसी एंटिटी न हो, जिसका नियंत्रण ऐसे प्रायोजक या उसके सहयुक्तों (सहयोगियों / एसोसिएट्स) के हाथों में हो;

(ग) यूनिट धारकों (यूनिट होल्डर्स) का अनुमोदन विनियम 22 के उप-विनियम (4) के अनुसार ले लिया गया हो ।"

III. विनियम 14 में,-

क. उप-विनियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(घक) प्रायोजक (प्रायोजकों), उसके (उनके) संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टीज़) और उसके (उनके) सहयुक्तों (सहयोगियों / एसोसिएट्स) को छोड़कर किसी निवेशक से आरंभिक प्रस्ताव (इनिशियल ऑफर) में अधिकतम अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) कुल यूनिट पूँजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;"

ख. उप-विनियम (4) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(गक) प्रायोजक (प्रायोजकों), उसके (उनके) संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टीज़) और उसके (उनके) सहयुक्तों (सहयोगियों / एसोसिएट्स) को छोड़कर किसी निवेशक से आरंभिक प्रस्ताव (इनिशियल ऑफर) में अधिकतम अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) कुल यूनिट पूँजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;"

IV. विनियम 16 में, -

क. उप-विनियम (7) में, खंड (क) में, चिह्नों तथा शब्दों ", प्रत्येक की धारिता (होल्डिंग) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" का लोप हो जाएगा ।

ख. उप-विनियम (7) में, खंड (ख) में, चिह्नों तथा शब्दों ", प्रत्येक की धारिता (होल्डिंग) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" का लोप हो जाएगा ।

V. विनियम 22 में,-

क. उप-विनियम (4) में, खंड (च) के पश्चात्, एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(चक) किसी प्रायोजक (स्पॉन्सर) के न रहने (डी-क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस) के मामले में;"

ख. उप-विनियम (5) में, खंड (च) के नीचे दिए हुए परंतुक का लोप हो जाएगा ।

ग. उप-विनियम (5ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(5ग) प्रायोजक (प्रायोजकों), उसके (उनके) संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टीज़) और उसके (उनके) सहयुक्तों (सहयोगियों / एसोसिएट्स) को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, तब तक अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का अर्जन इस प्रकार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे अवसंरचना निवेश न्यास में धारित यूनिटें मिलाकर अवसंरचना निवेश न्यास की बकाया यूनिटों के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाएं, जब तक कि मूल्य [जिसमें संव्यवहार (लेनदेन / ट्रांजैक्शन) से संबद्ध पक्षकारों (पार्टीज़) द्वारा धारित यूनिटों का मूल्य शामिल नहीं है] के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत यूनिट धारकों से अनुमोदन न ले लिया जाए:

परंतु यह कि यदि अपेक्षित अनुमोदन न मिले, तो यूनिटें अर्जित करने वाला व्यक्ति विसम्मति प्रकट करने वाले यूनिट धारकों को, उस सीमा तक और उसी प्रकार, निकास (एग्ज़िट) का विकल्प प्रदान करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।"

घ. उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(7) प्रायोजक या नियुक्त प्रायोजक में किसी परिवर्तन अथवा प्रायोजक या नियुक्त प्रायोजक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में,-

(क) ऐसे परिवर्तन से पूर्व, मूल्य [जिसमें संव्यवहार (लेनदेन / ट्रांजैक्शन) से संबद्ध पक्षकारों (पार्टीज़) द्वारा धारित यूनिटों का मूल्य शामिल नहीं है] के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत यूनिट धारकों से अनुमोदन लिया जाएगा

(ख) यदि अपेक्षित अनुमोदन न मिले, तो,-

(i) प्रायोजक या नियुक्त प्रायोजक के परिवर्तन के मामले में, प्रस्तावित नियुक्त प्रायोजक विसम्मति प्रकट करने वाले यूनिट धारकों को उनकी यूनिटें खरीदकर निकास (एग्ज़िट) का विकल्प उसी प्रकार प्रदान करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ii) प्रायोजक या नियुक्त प्रायोजक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में, उक्त प्रायोजक या नियुक्त प्रायोजक विसम्मति प्रकट करने वाले यूनिट धारकों को उनकी यूनिटें खरीदकर

निकास (एग्ज़िट) का विकल्प उसी प्रकार प्रदान करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;

स्पष्टीकरण: प्रायोजक या नियुक्त प्रायोजक में परिवर्तन का अर्थ ऐसे किसी परिवर्तन से होगा जो किसी नए प्रायोजक के आने की वजह से हो, फिर चाहे मौजूदा प्रायोजक बना रहे या वह चला जाए।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./56/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्-

   क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा

   ख. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा

   ग. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा

   घ. 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा

   ङ. 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा

   च. 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16 June, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15. ─In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014,-

I. In regulation 2, in sub-regulation 1,-

a. after clause (sa), the following a new clause shall be inserted, namely,-

"(sb) "inducted sponsor" means any company or LLP or body corporate which has been inducted as a sponsor in accordance with sub-regulation (7) of regulation 22"

b. in clause (zz), the words "and shall include an inducted sponsor" shall be inserted after the word "Board".

c. in clause (zza), the following new sub-clauses shall be inserted after sub-clause (e), namely,-

"f. an insurance company registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India;

g. a mutual fund."

II. After regulation 7, the following new regulation shall be inserted, namely,-

"De-classification of the status of sponsor

7A (1) De-classification of the status of a sponsor(s) of an InvIT whose units have been listed on the stock exchanges for a period of three years shall be permitted upon receipt of an application from the InvIT and subject to compliance with the following conditions:

(a) The unit holding of such sponsor and its associates taken together does not exceed 10% of the outstanding units of the InvIT;

(b) The investment manager of the InvIT is not an entity controlled by such sponsor or its associates;

(c) Approval of unit holders has been obtained in accordance with sub-regulation 4 of Regulation 22."

III. In regulation 14,-

a. in sub-regulation (2), after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely,-

"(da) maximum subscription from any investor other than sponsor(s), its related parties and its associates, in initial offer shall not be more than 25 percent of the total unit capital;"

b. in sub-regulation (4), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely,-

"(ca) maximum subscription from any investor other than sponsor(s), its related parties and its associates, in initial offer shall not be more than 25 percent of the total unit capital;"

IV. In regulation 16,-

a. in sub-regulation 7, in clause (a), the words and symbols ",each holding not more than twenty five per cent. of the units of the InvIT" shall be omitted.

b. in sub-regulation 7, in clause (b), the words and symbols ",each holding not more than twenty five per cent. of the units of the InvIT" shall be omitted.

V. In regulation 22,-

a. in sub-regulation (4), after clause (f), a new clause shall be inserted, namely,-

"(fa) de-classification of the status of sponsor;"

b. in sub-regulation (5), the proviso under clause (f) shall be omitted.

c. after sub-regulation (5B), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

"(5C) No person, other than sponsor(s), its related parties and its associates, shall acquire units of an InvIT which taken together with units held by such person and by persons acting in concert with such person in such InvIT, exceeds twenty-five per cent of the value of outstanding InvIT units unless approval from seventy five per cent. of the unit holders by value excluding the value of units held by parties related to the transaction, is obtained:

Provided that if the required approval is not received, the person acquiring the units shall provide an exit option to the dissenting unit holders to the extent and in the manner as may be specified by the Board.”

d. after sub-regulation (6), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(7) In case of any change in sponsor or inducted sponsor or change in control of sponsor or inducted sponsor, -

(a) prior to such change, approval from seventy five per cent. of the unit holders by value excluding the value of units held by parties related to the transaction shall be obtained

(b) if the required approval is not received,-

(i) in case of change of sponsor or inducted sponsor, the proposed inducted sponsor shall provide the dissenting unit holders an option to exit by buying their units in the manner specified by the Board;

(ii) in case of change in control of the sponsor or inducted sponsor, the said sponsor or inducted sponsor shall provide the dissenting unit holders an option to exit by buying their units in the manner specified by the Board;

Explanation: Change in sponsor or inducted sponsor shall mean any change due to entry of a new sponsor with or without exit of an existing sponsor.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./56/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –
   a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016;
   b. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.
   c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.
   d. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.
   e. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.
   f. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.

ploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.06.16 17:33:14 +05'30'